न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.13/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।

1-जमानत आवेदन संख्या-1917/2026
CNR No.UPRN01-005062-2026
1-गुड्डी बालिग पत्नी नत्थू निवासी काकूपुर सीताराम थाना शिवराजपुर, कानपुर नगर।
2-संध्या बालिग पत्नी राज निवासी काकूपुर सीताराम थाना शिवराजपुर, कानपुर नगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

अपराध सं०-35/2025
धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०
थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर।

दिनांक 21.08.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण गुड्डी एवं संध्या द्वारा मु०अ०सं०-35/2025 धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें झूंठा फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध जमानतीय है। सह-अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। जमानत दिये जाने पर वह न तो भागेंगे और न ही जमानत का दुरूपयोग करेंगे। जमानत दिये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने की याचना किया है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले में अभियुक्तगण पर एकराय होकर बल्वा करने, गाली गलौज कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रश्नगत अभियुक्तगण प्रकरण के मुख्य अभियुक्त नहीं है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध जमानतीय हैं। अभियुक्त पर आरोपित धाराओं में सात वर्ष से कम अवधि के दण्ड का प्रावधान है। अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। अभियुतगण सम्मन पर न्यायालय उपस्थित आये और जमानत आवेदन दाखिल किया है। सह-अभियुक्तगण बबीत उर्फ मंगू एवं सुलेखा की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। जमानत का आधार पर्याप्त है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण गुड्डी एवं संध्या की ओर से मु०अ०सं०- 35/2025 धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक के द्वारा मु०-20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व उतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उनको जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक-21.08.2026

(शरद कुमार त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.13
कानपुर देहात

Sarad Kumar Tripathi
Special Judge(Pocso Act)/ADJ
Court No.13, Kanpur Dehat
2026-08-21T15:56:51+0530